

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 747 / 2008 / चित्तौड़गढ़.

वाणिज्यिक कर अधिकारी,
वर्क्स कॉन्ट्रेक्ट एण्ड लीजिंग टैक्स, भीलवाड़ा.

.....अपीलार्थी.

बनाम

मैसर्स भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, चित्तौड़गढ़.

.....प्रत्यर्थी.

खण्डपीठ

श्री मदन लाल, सदस्य

श्री मनोहर पुरी, सदस्य

उपस्थित : :

श्री आर. के. अजमेरा,

उप राजकीय अभिभाषक

.....अपीलार्थी की ओर से.

श्री एम. एल. पाटौदी, अभिभाषक

.....प्रत्यर्थी की ओर से.

दिनांक : 19 / 08 / 2015


निर्णय

1. यह अपील राजस्व द्वारा उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर विभाग, उदयपुर (जिसे आगे 'अपीलीय अधिकारी' कहा गया है) के अपील संख्या 51/RST/COR/06-07 में पारित किये गये आदेश दिनांक 04.10.2007 के विरुद्ध राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, 1994 (जिसे आगे 'अधिनियम' कहा जायेगा) की धारा 85 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गयी है। अपीलीय अधिकारी ने उक्त आदेश से वाणिज्यिक कर अधिकारी, वर्क्स एण्ड लीजिंग टैक्स, भीलवाड़ा (जिसे आगे 'कर निर्धारण अधिकारी' कहा जायेगा) द्वारा प्रत्यर्थी व्यवहारी की आलौच्य अवधि वर्ष 2003-04 के लिये अधिनियम की धारा 29(7) के तहत पारित किये गये आदेश दिनांक 25.09.2006 के विरुद्ध प्रस्तुत अपील को स्वीकार करते हुए प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किया है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रत्यर्थी व्यवहारी ने कर निर्धारण वर्ष 2003-04 का वार्षिक विवरण प्रपत्र दिनांक 24.01.2005 को प्रस्तुत किया, परन्तु मूल एस.टी. 28 व अन्य दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये। आलौच्य अवधि का वार्षिक विवरण प्रपत्र एस.टी.5ए दिनांक 24.01.2005 को प्रस्तुत किया, जिसमें सकल पण्यावर्त रूपये 16,10,19,700/- घोषित किया है। इसमें Deduction में Sub-contract (tax liability paid by Sub Contract) रूपये 15,83,43,057/- घटाई है तथा शेष राशि रूपये 26,76,643/- रूपये पर 1.5 प्रतिशत की दर से ई.सी. शुल्क देय होना घोषित किया है।

3. इसके पश्चात वार्षिक विवरण प्रपत्र एस.टी.5ए Revise-I के अंकन से प्रस्तुत किया है, जिसमें वार्षिक पण्यावर्त रूपये 15,83,43,057/- घोषित किया है तथा कर दायित्व उप-ठेकेदार का घोषित किया गया है।






लगातार.....2

4. इसके पश्चात एक अन्य वार्षिक विवरण प्रपत्र एस.टी. 5ए जिस पर वाणिज्यिक कर अधिकारी, वर्क्स टैक्स, भीलवाड़ा के दिनांक 31.08.2006 को हस्ताक्षर हैं, पत्रावली के पृष्ठ संख्या (परिवर्तित 38) पर उपलब्ध है, में वार्षिक पण्यावर्त 18,15,33,057/- घोषित किया है, जिसमें से उप-ठेकेदार के कर दायित्व का पण्यावर्त 15,83,43,057/- घोषित किया है, शेष राशि रुपये 2,31,90,000/- अन्य श्रेणी की घोषित की है।

5. कर निर्धारण आदेश दिनांक 13.01.2006 से प्रत्यर्थी व्यवहारी को वार्षिक विवरण प्रपत्र में अन्तर के कारण अपूर्ण दस्तावेजों के कारण सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए नोटिस जारी किया गया। नोटिस दिनांक 18.08.2006 को सुनवाई दिनांक 31.08.2006 के लिये; नोटिस दिनांक 25.07.2006 को सुनवाई दिनांक 18.08.2006 के लिये एवं नोटिस दिनांक 15.09.2006 को सुनवाई दिनांक 25.09.2006 के लिये जारी किये गये। किन्तु प्रत्यर्थी व्यवहारी ने लेखा-पुस्तकों को कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया तथा विभिन्न भिन्नता/असंगति (Discrepancy) का समाधान करने में असफल रहे।

6. कर निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रत्यर्थी व्यवहारी की आलौच्य अवधि वर्ष 2003-04 का कर निर्धारण आदेश अन्तर्गत धारा 29(7) दिनांक 25.09.2006 को पारित करते हुए कर रुपये 29,70,000/- सरचार्ज रुपये 4,32,000/-, ब्याज रुपये 13,47,984/- धारा 65 के तहत शास्ति रुपये 16,56,000/- का आरोपण किया गया। प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा उक्त आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी अपील अपीलाधीन आदेश दिनांक 04.10.2007 से स्वीकार करते हुए प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया गया कि व्यवहारी द्वारा यदि कर निर्धारण आदेश की पालना में कोई राशि जमा कराई हो तो बाद सत्यापन उसका प्रतिदाय किया जाये। अपीलीय अधिकारी के उक्त आदेश से व्यथित होकर राजस्व द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गयी है।

7. अपीलार्थी राजस्व की ओर से विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक ने बहस के दौरान कथन किया कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा कर, सरचार्ज व ब्याज का आरोपण विधि अनुसार किया गया था, जिसे अपास्त किये जाने में अपीलीय अधिकारी द्वारा कानूनी भूल की गयी है। प्रत्यर्थी का अपीलीय स्तर पर यह तर्क था कि यह अन्तर राशि रुपये 3,64,95,342/- थी, यह लाभांश की राशि होने का कथन किया गया। आयकर विभाग की भी सामान्य लाभांश दर सकल प्राप्तियों की 8% हुआ करती है, जबकि प्रत्यर्थी के मामले में यह कथित लाभांश राशि 24% है। प्रत्यर्थी का यह कथन मिथ्या होना बताया। इस बिन्दु पर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा सुनवाई का अवसर देते हुए नोटिस जारी किये जाने





पर व्यवहारी उपस्थित नहीं हुआ। व्यवहारी को लाभ की राशि साबित करनी चाहिये थी, क्योंकि साबित करने का भार व्यवहारी पर होता है। इस मामले में लेखा-पुस्तकें प्रस्तुत नहीं करने के कारण व्यवहारी ने साबित करने के भार का निर्वहन नहीं किया है।

8. अपीलीय अधिकारी ने अपंजीकृत खरीद पर निर्धारित कर राशि रूपये 2,40,000 + 4,80,000 + 72,000; सरचार्ज राशि रूपये 36,000 अपास्त करने में त्रुटि की है। व्यवहारी ने कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष लेखा-पुस्तकें प्रस्तुत नहीं की हैं। अपीलीय अधिकारी ने शास्ति राशि रूपये 16,56,500/- व ब्याज राशि रूपये 1,34,984/- अपास्त करने में भी विधिक त्रुटि की है। उक्त कथन के साथ विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने राजस्व की अपील स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

9. प्रत्यर्थी व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक ने अपीलीय आदेश को विधिसम्मत बताते हुए कथन किया कि मैसर्स हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड द्वारा संविदा कार्य व्यवहारी को कार्य संविदा के तहत अवार्ड किया गया। प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा मैसर्स टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड को सह-आवंटित किया गया, जिसमें कर की सम्पूर्ण जिम्मेदारी सह-ठेकेदार की थी। सम्पूर्ण कार्य ई.सी. से समर्थित था। ऐसी स्थिति में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आरोपित कर, सरचार्ज व ब्याज का आरोपण प्रथम दृष्टया त्रुटिपूर्ण है। अपीलीय अधिकारी द्वारा कर, सरचार्ज व ब्याज को अपास्त करते हुए कतिपय निर्देशों के साथ प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किये जाने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की गयी है।

10. विद्वान अभिभाषक ने अपने तर्कों के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत किये गये :-

- (1) (1993) 88 एस.टी.सी. 204 (एस.सी.) गेनन डंकरले एण्ड कम्पनी व अन्य बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान व अन्य
- (2) (2000) 118 एस.टी.सी. 09 (एस.सी.) रेनबो कलर लेब व अन्य बनाम स्टेट ऑफ मध्यप्रदेश व अन्य
- (3) (1996) 100 एस.टी.सी. 213 (एस.सी.) स्टेट ऑफ तमिलनाडू व अन्य बनाम विजयकुमार मिल्स लिमिटेड
- (4) (2003) 2 आर.टी.आर. 558 (राज.) मैसर्स शेखावत एक्सप्लोजिक्स बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान व अन्य
- (5) अपील संख्या 1560/2007/चित्तौड़गढ़ (रा.क.बो.) निर्णय दिनांक 20.01.2014 वाणिज्यिक कर अधिकारी, वर्क्स टैक्स बनाम मधुकोन एण्ड प्रोजेक्ट लिमिटेड





लगातार.....4

- (6) अपील संख्या 252/2012/कोटा (रा.क.बो.) निर्णय दिनांक 19.03.2013 वाणिज्यिक कर अधिकारी, विशेष वृत्त-प्रथम, कोटा बनाम लार्सन एण्ड ट्यूब्रो लिमिटेड, कोटा
- (7) अपील संख्या 1652/2011/कोटा (रा.क.बो.) निर्णय दिनांक 01.05.2013 वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त-प्रथम, कोटा बनाम गुडविल एडवांस कंस्ट्रक्शन
- (8) अपील संख्या 209/2007/कोटा (रा.क.बो.) निर्णय दिनांक 16.04.2012 सहायक आयुक्त, वर्क्स कॉन्ट्रेक्ट एण्ड लीजिंग टैक्स, कोटा बनाम इण्डिया ट्यूब मिल्स एण्ड मेटल इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, कोटा
- (9) अपील संख्या 2/2007/बीकानेर (रा.क.बो.) निर्णय दिनांक 27.04.2012 मैसर्स मारवाड़ मोटर्स प्रा0 लि0 बीकानेर बनाम उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर, बीकानेर व वाणिज्यिक कर अधिकारी, करापवंचन बीकानेर
- (10) अपील संख्या 2120 से 2122/2008/श्रीगंगानगर (रा.क.बो.) निर्णय दिनांक 21.05.2009 (24 टैक्स अपडेट 175) वाणिज्यिक कर अधिकारी, वर्क्स कॉन्ट्रेक्ट एण्ड लीजिंग टैक्स, श्रीगंगानगर बनाम मैसर्स सुनील हाईटेक इंजीनियरिंग प्रा0 लि0, सूरतगढ़
- (11) अपील संख्या 3983/2005/जयपुर (रा.क.बो.) निर्णय दिनांक 22.02.2007 (17 टैक्स अपडेट 304) सहायक आयुक्त, कार्य संविदा एवं पट्टा कर अधिकारी, जोन-द्वितीय, जयपुर बनाम मैसर्स जी. आर. इंजीनियरिंग वर्क्स लिमिटेड, जयपुर
- (12) अपील संख्या 1483/2005 व 1581/2005/भीलवाड़ा (रा.क.बो.) निर्णय दिनांक 15.05.2006 (15 वैट रिपोर्टर 248) सहायक आयुक्त, विशेष वृत्त, भीलवाड़ा बनाम ओमप्रकाश काल्या, गुलाबपुरा (भीलवाड़ा)
- (13) अपील संख्या 55/2000/उदयपुर (रा.क.बो.) निर्णय दिनांक 17.01.2007 (27 सेल्स टैक्स टुडे 03) मैसर्स जय गुरु महाराज कंस्ट्रक्शन कम्पनी, हिरण मगरी, उदयपुर बनाम ववाणिक, वर्क्स एण्ड लीजिंग टैक्स, उदयपुर
- (14) अपील संख्या 700, 702, 704 व 705/2004/कोटा (रा.क.बो.) निर्णय दिनांक 28.06.2005 (12 टैक्स अपडेट 282) वाणिज्यिक कर अधिकारी, कार्य संविदा एवं पट्टा कर, कोटा बनाम मैसर्स हरजी इंजीनियरिंग वर्क्स प्रा0 लि0, कोटा
- (15) अपील संख्या 1652/2011 व 251/2012/कोटा (रा.क.बो.) निर्णय दिनांक 01.05.2013 वाणिज्यिक कर अधिकारी बनाम मैसर्स गुडविल एडवांस कंस्ट्रक्शन कम्पनी, कोटा

11. उक्त न्यायिक दृष्टान्तों के आलोक में विद्वान अभिभाषक ने राजस्व की अपील अस्वीकार किये जाने का निवेदन किया।





12. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। उद्धरित न्यायिक दृष्टान्तों का ससम्मान अध्ययन किया गया।

13. प्रकरण में कर निर्धारण अधिकारी की पत्रावली पर उपलब्ध रेकॉर्ड के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रत्यर्थी व्यवहारी ने कर निर्धारण वर्ष 2003-04 का वार्षिक विवरण प्रपत्र दिनांक 24.01.2005 को प्रस्तुत किया, परन्तु मूल एस. टी. 28 व अन्य दस्तावेज बावजूद सूचना के भी प्रस्तुत नहीं किये गये। वार्षिक विवरण प्रपत्र नियम 19(4) के तहत एस.टी.5ए दिनांक 24.01.2005 को प्रस्तुत किया, जो पत्रावली के पृष्ठ (परिवर्तित 78) पर उपलब्ध है, में सकल पण्यावर्त शीर्षक में लेखा-पुस्तकों के अनुसार रुपये 16,10,19,700/- घोषित किया है। इसके साथ संलग्न विवरण में Total Receipt रुपये 16,10,19,700/- घोषित किया, इसमें Deduction में Sub-contract (tax liability paid by Sub Contract) रुपये 15,83,43,057/- घटाई है तथा शेष राशि रुपये 26,76,643/- रुपये पर 1.5 प्रतिशत की दर से ई.सी. शुल्क देय होना घोषित किया है।

14. इसके पश्चात संशोधित वार्षिक विवरण प्रपत्र एस.टी.5ए Revise-I प्रस्तुत किया है, जो कर निर्धारण अधिकारी की पत्रावली के पृष्ठ संख्या 44 (परिवर्तित 68) पर उपलब्ध है, में वार्षिक पण्यावर्त रुपये 15,83,43,057/- घोषित किया है तथा उप-ठेकेदार का कर दायित्व घोषित करते हुए रुपये 15,83,43,057/- का घोषित किया गया है।

15. इसके पश्चात एक अन्य वार्षिक विवरण प्रपत्र एस.टी. 5ए दिनांक 31.08.2006 को प्रस्तुत किया है, जिस पर कर निर्धारण अधिकारी के लघु हस्ताक्षर हैं, जो कर निर्धारण अधिकारी की पत्रावली के पृष्ठ संख्या (परिवर्तित 37/38) पर उपलब्ध है, में वार्षिक पण्यावर्त 18,15,33,057/- घोषित किया है, जिसमें से उप-ठेकेदार के कर दायित्व का पण्यावर्त 15,83,43,057/- घोषित किया है, शेष राशि रुपये 2,31,90,000/- अन्य श्रेणी की घोषित की है।

16. कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आदेश पारित किये जाने से पूर्व दिनांक 13.01.2006 से प्रत्यर्थी व्यवहारी को वार्षिक विवरण प्रपत्र में अन्तर होने के कारण अपूर्ण दस्तावेजों के कारण सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए नोटिस जारी किया गया। इसी प्रकार नोटिस दिनांक 18.08.2006 को सुनवाई दिनांक 31.8.2006 के लिये; नोटिस दिनांक 25.07.2006 को सुनवाई दिनांक 18.08.2006 के लिये एवं नोटिस दिनांक 15.09.2006 को सुनवाई दिनांक 25.09.2006 के लिये जारी किये गये।




17. उक्त नोटिसों की प्राप्ति के बावजूद प्रत्यर्थी व्यवहारी ने लेखा-पुस्तकें कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत नहीं की तथा विभिन्न भिन्नता/असंगति (Discrepancy) का समाधान करने में असफल रहे। कर निर्धारण अधिकारी की पत्रावली में उपलब्ध तीन वार्षिक विवरण प्रपत्रों में सकल पण्यवर्त क्रमशः रुपये 16,10,10,700/-; रुपये 15,83,43,057/- व रुपये 18,15,33,057/- घोषित किया गया है। अधिनियम की धारा 26(5) में व्यवहारी पर यह साबित करने का भार है कि वो त्रुटि के सद्भावी होने के सम्बन्ध में उक्त भार का निर्वहन करे।

18. कर निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रत्यर्थी व्यवहारी की आलौच्य अवधि वर्ष 2003-04 का कर निर्धारण आदेश अन्तर्गत धारा 29(7) दिनांक 25.09.2006 को पारित करते हुए कर रुपये 29,70,000/- सरचार्ज रुपये 4,32,000/-, ब्याज रुपये 13,47,984/- धारा 65 के तहत शास्ति रुपये 16,56,000/- का आरोपण किया गया है।

19. प्रकरण की उपरोक्त परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए अधिनियम की धारा 29(7) का अवलोकन किया जाना समीचीन होगा, जो निम्न प्रकार है :-

Section 29. Assessment -

(7) The assessing authority after affording an opportunity of being heard, shall assess a dealer to the best of its judgment and determine the tax payable by him, if such dealer -

(a) has not filed all or any of the returns due for a year; or

(b) has filed any return or returns which appear to the assessing authority incomplete or incorrect; or

(c) has failed to comply with all the terms of a notice issued under sub-section (5); or

(d) has not regularly employed any method of accounting, or if the method employed is such that in the opinion of the assessing authority, assessment cannot properly be made on the basis thereof; or

(e) has with a view to avoid or evade tax, shown in this accounts, registers or documents, sale or purchase of any goods at a price which is lower than the prevailing market price of such goods; or

(f) has concealed any transaction of purchase or sale from his accounts, registers or documents or has avoided or evaded tax in any other manner.

20. इसी प्रकार अधिनियम की धारा 26 निम्न प्रकार है :-

Section 26. Filing of returns

(1) Every registered dealer, and such other dealer as may be required by notice to do so by the assessing authority shall furnish prescribed returns, for the prescribed period, in the prescribed form, in the prescribed manner and within the prescribed time to the assessing authority.





लगातार.....7

- (2) The assessing authority may extend the date for submission of any return to be filed by any dealer or class of dealers under sub-section (1) by a period not exceeding fifteen days.
- (3) Every return to be filed under sub-section (1) shall be accompanied by a treasury receipt or receipt of the bank authorised to receive money on behalf of the State Government showing the deposit of full amount of tax due on the basis of the return.
- (4) Notwithstanding anything contained in sub-section (1), no return shall be required to be filed by a registered dealer who deals in generally exempted and/or tax paid goods and whose turnover in the previous year does not exceed such limit as may be prescribed with or without any condition.
- (5) **Where a dealer discovers any omission or error in any return furnished by him under sub-section (1), he may furnish a revised return within [such time as may be prescribed not exceeding three hundred sixty five days] after the close of the year to which it relates, and the burden of proving that the omission or the error was *bona fide*, shall be on such dealer.**

21. वार्षिक विवरण प्रपत्र को संशोधित करने के सम्बन्ध में व्यवहारी पर यह साबित करने का भार है कि त्रुटि सदभावी थी। वार्षिक विवरण प्रपत्र को संशोधन करने की समय-सीमा के बिन्दु पर भी परीक्षण किया जाना चाहिये कि वो अनुज्ञेय समय-सीमा में है अथवा नहीं। व्यवहारी त्रुटि के सदभावी होने को साबित करने में असफल रहा है।

22. उक्त विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रत्यर्थी व्यवहारी को आलौच्य अवधि से सम्बन्धित दस्तावेज व लेखा-पुस्तकें प्रस्तुत करने हेतु पर्याप्त अवसर प्रदान किया गया है। प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा आलौच्य अवधि से सम्बन्धित प्रथम वार्षिक विवरण प्रपत्र दिनांक 24.01.2005 को प्रस्तुत किया गया, जिसमें सकल पण्यवर्त रूपये 16,10,19,700/- दर्शाया गया। द्वितीय वार्षिक विवरण प्रपत्र (संशोधित) दिनांक 13.01.2006 को प्रस्तुत किया गया, जिसमें सकल पण्यवर्त 15,83,43,057/- एवं तृतीय (संशोधित) वार्षिक विवरण प्रपत्र दिनांक 31.08.2006 को प्रस्तुत किया गया, जिसमें सकल पण्यवर्त रूपये 18,15,33,057/- दर्शाया गया। जबकि प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा अपने सह-संविदाकर्ता मैसर्स टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड कोटा के साथ रूपये 12,18,47,715/- की ही संविदा निष्पादित की गयी है तथा टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड द्वारा भी आलौच्य अवधि में रूपये 12,18,47,715/- के संविदा कार्यों पर ही मुक्ति शुल्क अदा किया गया है। प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा निष्पादित

लगातार.....8

सह-संविदा के अतिरिक्त अन्तर राशि के सम्बन्ध में कर निर्धारण अधिकारी को कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है तथा ना ही लेखा-पुस्तकों से अन्तर राशि को प्रमाणित किया गया है। इस प्रकार प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा की गई सह-संविदा की अन्तर राशि पर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा करारोपण की कार्यवाही की गयी है, जिसमें किसी प्रकार की त्रुटि किया जाना प्रतीत नहीं होता है, जबकि अपीलिय अधिकारी द्वारा कर निर्धारण आदेश अपास्त किये जाने में प्रथम दृष्टया विधिक त्रुटि की गयी है।

23. प्रत्यर्थी व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक द्वारा उद्धरित न्यायिक दृष्टान्तों के तथ्य वर्तमान प्रकरण में निहित तथ्यों से भिन्न होने के कारण उक्त न्यायिक दृष्टान्त प्रत्यर्थी व्यवहारी को कोई सहायता प्रदान नहीं करते हैं।

24. उपरोक्त विवेचन को दृष्टिगत रखते हुए प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किया जाता है तथा प्रत्यर्थी व्यवहारी को निर्देशित किया जाता है कि वे दिनांक 05.10.2015 को कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष वांछित दस्तावेजों सहित उपस्थित होकर निम्न बिन्दुओं पर अपना पक्ष स्पष्ट करें तथा बिक्री विवरण प्रपत्र व लेखा-पुस्तकों के अन्तर को स्पष्ट करें :-

(1) प्रत्यर्थी व्यवहारी अपना पक्ष प्रस्तुत करते हुए पण्यवर्त राशि के अन्तर रूपये 3,64,95,342/- को लेखा-पुस्तकों से साबित करें तथा लाभ राशि होने के तर्क को सम्बन्धित वर्ष के आयकर रिटर्न व कर निर्धारण से पुष्ट करें।


(2) प्रत्यर्थी व्यवहारी अपंजीकृत खरीद पर करारोपण के बिन्दु पर अपना पक्ष प्रस्तुत करें व लेखा-पुस्तकों से प्रमाणित करें।

(3) कर निर्धारण अधिकारी लेखा-पुस्तकों के परीक्षण के पश्चात व प्रत्यर्थी व्यवहारी का पक्ष सुनने के पश्चात विधिसम्मत निर्णय पुनः पारित करें।


25. प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा उपरोक्तानुसार पण्यवर्त राशि के अन्तर को लेखा-पुस्तकों से प्रमाणित करने में असफल रहने तथा अपंजीकृत खरीद को लेखा-पुस्तकों से प्रमाणित करने में असफल रहने की स्थिति में कर निर्धारण अधिकारी का आदेश दिनांक 25.09.2006 यथावत बहाल रहेगा।

26. परिणामस्वरूप अपीलार्थी राजस्व की अपील स्वीकार करते हुए प्रकरण उपरोक्त निर्देशानुसार कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किया जाता है।

27. निर्णय सुनाया गया।


19.08.2015

(मनोहर पुरी)
सदस्य


19.8.2015
(मदन लाल)
सदस्य